जनपद कानपुर देहात के बारे में

जनपद कानपुर देहात में कुल 5 तहसीलें अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर एवं रसूलाबाद हैं। इस जनपद में कुल 10 विकास खण्ड अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर, राजपुर, अमरौधा, मलासा एवं रसूलाबाद हैं। जनपद में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या **1,036** है, जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या **973** तथा गैर आबाद ग्रामों की संख्या 63 है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या **15,84,037** है, जिसमें **7,30,771** महिलायें एवं **8,53,566** पुरूश हैं।

वर्श 2009 में उपलब्ध ऑकड़ों एवं तहसीलों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद की कुल अनुमानित जनसंख्या **18,41,180** है, जिसमें **9,91,294** पुरूश तथा **8,49,886** महिलायें हैं।

नये परिसीमन के अनुसार जनपद– कानपुर देहात में कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः 205– रसूलाबाद (अ0जा0), 206– अकबरपुर रनियां, 207– सिकन्दरा एवं 208– भोगनीपुर हैं। पूर्व में इस जनपद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 279– भोगनीपुर (अ0जा0)आंशिक, 280– राजपुर, 281– सरवनखेड़ा, 282– चौबेपुर (आंशिक), 283– बिल्हौर (अ0जा0) आंशिक एवं 284– डेरापुर थे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान स्थलों के समभाजन के उपरान्त जनपद– कानपुर देहात में कुल **1,292** मतदेय स्थल, तथा 985 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं, जो आयोग द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। पूर्व में इस जनपद में कुल 995 मतदेय स्थल तथा 649 मतदान केन्द्र विद्यमान थे। वर्तमान पुनरीक्षण में आलेख्य प्रकाशन के समय मतदाताओं की कुल संख्या **1094579** है जिसमें पुरूश मतदाता **604977** एवं महिला मतदाता **489602** हैं ।

फोटोयुक्त मतदाता सूची के **विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण** कार्य हेतु कुल **1044 बूथ लेविल आफिसरों** की नियुक्तियॉ की गई । पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु **94 पर्यवेक्षक एवं 46 सेक्टर आफिसर** नियुक्त किये गये । इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण कार्य हेतु जनपद को **10 सेक्टरों** में विभाजित करके **10 जोनल आफिसरों** की नियुक्तियॉ की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार नियुक्त किये गये । पुनरीक्षण कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु लगाये गये जोनल आफिसरों के कार्यों की समीक्षा हेतु **4 सुपर जोनल** आफिसरों को भी नियुक्त किया गया। इसके लिये ***मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.), अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सम्भागीय वन अधिकारी*** को नियुक्त किया गया ।

पुनरीक्षण कार्य के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए थे तथा पम्पलेट समाचार पत्रों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है ।

दिनॉक 21–11–2008 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक करके पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई ।